# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| रेफरेन्स संख्या | रजिस्टर्ड नंबर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | 2014/00048 | 09.01.2014 | 06.01.2026 |

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्योदान सिंह पुत्र श्री रेवड राम—मृतक
1/1.श्रीमती कौशल्या पत्नी स्वर्गीय श्री श्योदान,
1/2.अशोक पुत्र स्वर्गीय श्री श्योदान,
1/3.सुभाष पुत्र स्वर्गीय श्री श्योदान,
1/4.पुष्पा पुत्री स्वर्गीय श्री श्योदान,
1/5.फूलवती पुत्री स्वर्गीय श्री श्योदान, निवासियान ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।
2.अमर सिंह पुत्र श्री रेवडराम,
3.शिव लाल सिंह पुत्र श्री रेडराम—मृतक
3/1.श्रीमती धूपन पत्नी स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/2.बाबू लाल पुत्र स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/3.तोताराम पुत्र स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/4.मनीष पुत्र स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/5.महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/6.बत्तो पुत्री स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/7.शोभा पुत्री स्वर्गीय श्री शिवलाल,
3/8.सुनीता पुत्री स्वर्गीय श्री शिवलाल, निवासियान ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान।
4.रामसिंह पुत्र श्री रेवडराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम केसरपुर, तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—
1.श्री राजकीय अभिभाषक —राजकीय अधिवक्ता
2.श्री ब्रह्म प्रकाश यादव —वकील अप्रार्थीगण

## —:: निर्णय ::—

यह रेफरेन्स प्रकरण तहसीलदार अलवर, जिला अलवर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा न0 464 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, 465 मिन रकबा 8 बीघा, 466/1 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा न0 513 रकबा 1.66 बिस्वा, 514 रकबा 1.61 है0, 515 रकबा 0.41 है0, 519 रकबा 0.47 है0, 520 रकबा 0.45 है0 किस्म तालाब प्रथम वाके ग्राम केसरपुर तहसील अलवर में स्थित है जिसके हाल खातेदार श्योदान सिंह, अमरसिंह, शिवलाल सिंह, रामसिंह, पि0 रेवडराम जाति गुर्जर सा0 केसरपुर खातेदार राहिन बडौदा राज0 ग्रा0 बैंक शाखा सरस डेयरी अलवर। खसरा न0 513 रकबा 1.66 में से 73 गुणा 1/2 गुणा16 फुट में किचिन बरामदा लेट् आदि पुख्ता होलीडे रिसोर्ट बना हुआ है। उपरोक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2020 के अनुसार तालाबी दोयम किस्म दर्ज है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में एवं माननीय उच्च न्यायालय रिट एसबी सिविल संख्या 1153/11 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 व 08.09.2011 की पालना में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिंदु संख्या 5 के अनुसार जलाशयों के डूब क्षेत्र में आने वाले खातेदारी भूमि को सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश हैं एवं अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी गैरखातेदारी में दर्ज हो गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापिस राज के भूमि घोषित किए जाने के आदेश पारित किए हैं। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी तथा बाद के बंदोबस्त संवत् 2020 की प्रमाणित प्रति मय मिलान क्षेत्रफल संलग्न की गई है। अतः प्रार्थनापत्र रेफरेंस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उपरोक्त भूमि के काश्तकार कॉलम में उपरोक्त अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर राजकीय भूमि किस्म तलाब प्रथम दर्ज की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित।

अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेफरेन्स का चरण संख्या 01 जिस कदर बयान किया गया है, इतना सही हैं, कि उक्त चरण में वर्णित साबिक आराजी खसरा नम्बरान 464 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, 465 मिन रकबा 8 बीघा, 466/1 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 513 रकबा 1.66 हैक्टेयर, 514 रकबा 1.61 हैक्टेयर, 515 रकबा 0.41 हैक्टेयर, 519 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 520 रकबा 0.45 हैक्टेयर वाके ग्राम केशरपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिसके हाल खातेदार श्योदानसिंह, अमरसिंह, शिवलालसिंह, रामसिंह पि. रेवडराम जाति गुर्जर सा. केशरपुर हैं। खसरा नं. हाल 513 रकबा 1.66 में से 73–1/2 गुण16 फुट में किचिन, बरामदा, लैट आदि पुख्ता होली–डे रिर्सोट बना हुआ है। बाकि लेख गलत है, अस्वीकार हैं। चरण हाजा में वर्णित आराजी की किस्म तालाब प्रथम नहीं हैं, बल्कि उक्त आराजी की किस्म डहरी हैं। प्रार्थी ने उक्त आराजी की किस्म तालाबी प्रथम खिलाफ कानून व मौका एवं साबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकित की हैं। उक्त आराजी की किस्म साबिक जमाबंदी में तालाबी नहीं हैं, बल्कि किस्म ढहरी हैं। जो हम अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर हम अप्रार्थीगण करीब 70 साल पूर्व से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, और हर संवत में फसल पैदा करते चले आ रहे हैं और हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। रेफरेन्स का चरण संख्या 03 जिस कदर बयान किया गया हैं, काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। वैसे विवादित आराजी उपरोक्त की किस्म तालाबी दोयम नहीं हैं, बल्कि किस्म ढहरी हैं। संवत 2020 से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में ढहरी किस्म अंकित हैं। संवत 2020 की जमाबंदी खिलाफ कानून व मौका तैयार की गयी हैं। जिसमें साबिक रिकॉर्ड में अंकित किस्म ढहरी को बदलकर किस्म तालाबी तालाबी दोयम दर्ज की गयी हैं। रेफरेन्स का चरण संख्या 03 जिस कदर बयान किया गया है, गलत हैं, अस्वीकार है। प्रार्थी ने चरण हाजा में मनमाने तथ्य खिलाफ कानून मौका व साबिक राजस्व रिकॉर्ड अंकित किये हैं। उक्त आराजी की किस्म कभी भी तलाबी प्रथम नहीं रही, और ना वर्तमान में हैं, बल्कि उक्त आराजी की किस्म साबिक राजस्व रिकॉर्ड में ढहरी है, और वर्तमान में भी किस्म ढहरी हैं। प्रकरण हाजा में वर्णित निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय रिट एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/11 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 व 08.09.2011 प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ उक्त आराजी के बारे में कोई रेफरेन्स अदालत श्रीमान में प्रस्तुत करने का नैतिक एवं विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी का रेफरेन्स मौजूदा सूरत में हम अप्रार्थीगण के खिलाफ पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। खारिज फरमाया जावे। रेफरेन्स का बिना चरण संख्या 04 बाबत दादरसी है, जो गलत है, स्वीकार नहीं। प्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

का रेफरेन्स मौजूदा सूरत में हम अप्रार्थीगण के खिलाफ पोशनीय न होकर सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं। सव्यय खारिज फरमाया जाये।

(अतिरिक्त कथन) प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण के खिलाफ रेफरेन्स दायर करने के लिये कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नहीं होते हैं। प्रार्थी ने खिलाफ कानून, मौका एवं साबिक राजस्व रिकॉर्ड मिथ्या मनघडंत काल्पनिक तथ्य अंकित करते हुये, रेफरेन्स हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी में फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने की नियत से अदालत श्रीमान में पेश किया हैं। जो पोशनीय नहीं हैं, और सव्यय खारिज किये जाने योग्य हैं। सव्यय खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब रेफरेन्स पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थी का रेफरेन्स हम अप्रार्थीगण के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष 10 हजार रूपये खारिज फरमाया जावे। महति कृपा होगी। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब के समर्थन में आर0आर0टी0 2016(1) पेज 396 तथा रेफरेंस न0 5089/चूरू 10 निर्णय दिनांक 21.09.2011 पेश किये।

राजकीय अभिभाषक ने वकील अप्रार्थी द्वारा जबाब में दिये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की किस्म ढहरी बताई गई है जो कि गलत है जबकि सेटलमेंट संवत 2051–70 के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 513 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा न0 464, हाल खसरा न0 514 रकबा 8 बीघा साबिक खसरा न0 465, हाल आराजी खसरा न0 515 मिन 465, 519 मिन 466/1, हाल आराजी खसरा न0 520 मिन 466/1 से बने हैं। मुताबिक भू–प्रबंध (सेटलमेंट) खतौनी संवत 2020 में साबिक खसरा न0 464, 465, 466 की किस्म तालाबी दोयम दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–70 में दर्ज खसरा न0 516 रकबा 1.66 है0, 514 रकबा 1.01 है0, 515 रकबा 0.41 है0, 519 रकबा 0.47 है0, 520 रकबा 0.45 है0 इन सभी की किस्म तालाब दोयम दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में एवं माननीय उच्च न्यायालय रिट एसबी सिविल संख्या 1153/11 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 व 08.09.2011 की पालना में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बिंदु संख्या 5 के अनुसार जलाशयों के डूब क्षेत्र में आने वाले खातेदारी भूमि को सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश हैं एवं अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी व्यक्ति की खातेदारी गैरखातेदारी में दर्ज हो गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापिस राज के भूमि घोषित किए जाने के आदेश पारित किए हैं। अतः प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जावे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड का अलवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता और वकील अप्रार्थी की बहस पर चिन्तन–मनन किया। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत एक "रेफरेंस" (संदर्भ) है। प्रार्थी (तहसीलदार) का तर्क है कि ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर के खसरा नंबर 513, 514, 515, 519 और 520 (कुल रकबा लगभग 4.40 है0) राजस्व रिकॉर्ड में बंदोबस्त संवत 2020 के अनुसार, इस भूमि की किस्म "तालाबी दोयम" (तालाब/जलाशय) दर्ज है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार (2004) के ऐतिहासिक निर्णय में यह आदेश दिया गया है कि जलाशयों, तालाबों या उनके डूब क्षेत्र (ब्जबीउमदज तम) की भूमि यदि किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई है, तो उसे निरस्त कर पुनः राजकीय (सरकारी) घोषित किया जाए। वर्तमान में भूमि पर "होलीडे रिसॉर्ट" और अन्य पक्के निर्माण (किचन, बरामदा आदि) बने हुए हैं, जिसे प्रार्थी/तहसीलदार अवैध मानता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अप्रार्थीगण का तर्क/दावा है कि भूमि की किस्म "तालाब" नहीं, बल्कि "ढहरी" (खेती योग्य भूमि) है। उनका कहना है कि संवत 2020 से पूर्व के रिकॉर्ड में यह भूमि "ढहरी" थी, लेकिन संवत 2020 के बंदोबस्त के समय इसे गलत तरीके से "तालाबी" दर्ज कर दिया गया। पिछले 70 वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहे हैं और वर्तमान में वहां निर्माण भी है। उनके अनुसार, अब्दुल रहमान बनाम राज्य का फैसला उन पर लागू नहीं होता क्योंकि भूमि की प्रकृति मूलतः कृषि योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर के खसरा नंबर 513, 514, 515, 519 और 520 (कुल रकबा लगभग 4.40 है0) राजस्व रिकॉर्ड में बंदोबस्त संवत 2020 के अनुसार, इस भूमि की किस्म "तालाबी दोयम" (तालाब/जलाशय) दर्ज है। सेटलमेंट संवत 2051–70 के अनुसार हाल आराजी खसरा न0 513 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा साबिक खसरा न0 464, हाल खसरा न0 514 रकबा 8 बीघा साबिक खसरा न0 465, हाल आराजी खसरा न0 515 मिन 465, 519 मिन 466/1, हाल आराजी खसरा न0 520 मिन 466/1 से बने हैं। मुताबिक भू–प्रबंध (सेटलमेंट) खतौनी संवत 2020 में साबिक खसरा न0 464, 465, 466 की किस्म तालाबी दोयम दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–70 में दर्ज खसरा न0 516 रकबा 1.66 है0, 514 रकबा 1.01 है0, 515 रकबा 0.41 है0, 519 रकबा 0.47 है0, 520 रकबा 0.45 है0 इन सभी की किस्म तालाब दोयम दर्ज रिकॉर्ड है तथा वर्तमान जमाबंदी संवत 2075 में भी खसरा न0 513,514,515,519,520 की किस्म तालाबी प्रथम है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के पक्ष में कोई पुख्ता साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि पूर्व में इन खसर नम्बरान की किस्म ढहरी थी, केवल जबाब में उक्त खसरा नम्बरान कि किस्म पूर्व में ढहरी कह देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता की वर्तमान जमाबंदी में सहवन से उक्त खसरा नम्बरान कि किस्म तालाबी प्रथम हो गई है। अप्रार्थी अपना पक्ष साबित नहीं कर पाने से प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को विवादित आराजी वाके ग्राम केसरपुर, तहसील व जिला अलवर के हाल आराजी खसरा नंबर 513 रकबा 1.66 है0 किस्म तालाब प्रथम, 514 रकबा 1.61 है0 किस्म तालाब प्रथम, 515 रकबा 0.41 है0 किस्म तालाबी प्रथम, 519 रकबा 0.47 है0 किस्म तालाबी प्रथम और 520 रकबा 0.45 है0 किस्म तालाबी प्रथम की भूमि से अप्रार्थीगण (अशोक कुमार, अमरसिंह व अन्य) के नाम कलमजन किये जाकर उक्त भूमि को "राजकीय भूमि किस्म तालाब प्रथम" दर्ज करने की सिफारिस के साथ भिजवाया जावे।

आज यह निर्णय दिनांक 06.01.2026 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर